द्वितीय अध्याय

उत्तर प्रदेश में किसान आन्दोलन

(1918–1936 तक)

उत्तर प्रदेश में भी देश के अन्य भागों की भांति किसान जो गांव में बहुसंख्या में थे उनका अधिकतर प्रतिशत या तो भूमिहीन था या बहुत ही कम भूमि रखने वाला सिकमी किसान था। उनके हक जमीन पर स्थयी नहीं थे ओर जमींदार उनसे मनमाना नजराना वसूल करता था और उन पर भी जब चाहे उनको जमीन से बेदखल कर सकता था। उनके और जमींदारों के बीच बेदखली के सवाल पर छोटी मोटी झड़पें भले होती ही होती रही हों लेकिन कोई संगठित किसान संगठन नहीं था।

किसान बहुत ही पीडित तथा दबे हुए थे ओर कांग्रेस भी जो देश में उस समय राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रतीक थी अपने वर्गीय चरित्र के कारण कोई भी संगठित किसान आन्दोलन चला पाने की न तो स्थिति में थी और न ही इसके पक्ष में थी कांग्रेस में किसानों की बड़ी संख्या होने के साथ ही काफी संख्यामें छोटे जमींदार और कुछ बड़े जमींदार थे। कांग्रेस को भय था कि किसानों का कोई भी संगठित आन्दोलन आगे चलकर वर्ग संघर्ष का भी रूप ले सकता है।(अपनी आत्मकथा में **पं0 जवाहर लालनेहरू ने लिखा है**–''कांग्रेस पूर्ण रूप से राष्ट्रीय संस्था है जिसमे किसान मध्यम वर्गीय जमीदार तथा कुछ बड़े जमींदार सभी हैं और वह कोई ऐसा काम करना नहीं चाहती है जिससे कि वर्ग सघर्ष पैदा हो जाये ओर जमींदार नाराज हो।'[1])

कांग्रेस की यह मन: स्थिति 1930 तक थी जबकि वह असहयोग आन्दोलन के माध्यम से देश की जनता को राजनैतिक आजादी की लड़ाई को और अग्रसर कर चुकी थी और उसे देश के कोने–कोने में विस्तृत जनाधार प्राप्त हो चुका था। ऐसी स्थिति में 1920 ई0 या 21 ई0 मे इस तरह के संघर्ष की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी। गांव में निरन्तर बेदखलियां बढ़ती जा रही थी और किसानों को तरह–तरह से तंग किया जा रहा था। भूमिहीन कृषि मजदूरों की सख्या तेजी से बढ़ रही थी। यद्यपि यह प्रकिया

लम्बे समय से पूरे देश में चल रही थी परन्तु इस बीच इसकी गति में तेजी से वृद्वि आ रही थी। भूमिहीन मजदूरों की संख्या 1911 ई0 में 19 प्रतिशत, 1921 ई0 में 26.5 प्रतिशत 1931 में 38 प्रतिशत हो गयी।[2] जाहिर है यह संख्या अधिक लोगों के अपनी जमीन पर अधिकार नहीं छोडने के कारण बढ रही थी ओर लोग स्वेच्छा से अपना अधिकार नहीं छोड़ रहे थे उनको जबरन बेदखल किया जा रहा था।

सरकारी कानून भी इस सम्बन्ध में जमींदारो के पक्ष में थे। जमींदार चूंकि सरकार व जनता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। और गांव में उनकी सत्ता व्यवस्था के स्तम्भ और प्रतीक की भांति थी। अतः स्वाभाविक रूप से सरकार की सहानुभूति उनके साथ थी ओर भूमि के कानून उदार रूप से उनकी सहायता करते थे।

सरकारी अमला भी उनकी रक्षा करता था ओर उनको किसानों के बेदखल करने के प्रश्न पर अपने पैसे और प्रभाव से स्थानीय प्रशासन का सहयोग निश्चित रूप से मिल जाता था। अवध में आगरा अलग–अलग भूमि कानून (टनेंमी एक्ट) थे।

पं0 जवाहर लाल नेहरू के अनुसार'' अवध में स्थायी या लम्बी अवधि के काश्तकारों की संख्या नगण्य थी। केवल अस्थायी काश्तकार थे। जिनको कभी भी बेदखल किया जा सकता था औ र इसी कारण उनको संगठित करना अपेक्षाकृत आसान था।''

13 जनवरी, 1921 ई0 को भारत को भेजे गये अपने तार में वायसराय ने स्वयं टेनेंसी एक्ट को जमींदारों के पक्ष में बताया ओर उसमे सुधार के लिये अनुसंशा की थी।। उत्तर प्रदेश द्वारा किसान असान्ति के सम्बन्ध में दी गयी सूचनाओं के आधार पर तैयार भारत की रिपोर्ट में किसानों की वास्तविक समस्याओं और उनके बोझ को स्वीकार गया है और समस्याओं का प्रमुख कारण राजनैतिक नहीं वरन् आर्थिक बताया गया है कि

सरकार **"अवध रेण्ट एक्ट"** संसोधन करने पर विचार कर रही है।[4] आगरा का टेनेमी एक्ट भी किसानों का समान रूप से जमीदारों के अधिकार का रक्षक ओर किसानों का उत्पीडक था। किसानों में हताशा, क्षोभ और उत्तेजना व्याप्त थी। केवल एक चिंगारी ही समस्या को भयानक रूप दे सकती थी।[5]

किसान जमींदारों के जुल्म से त्रस्त हो रहे थे और उनका कोई संगठन नहीं बन पा रहा था। छुटपुट असंगठित जमींदार किसान झगड़ों के अलावा जिनमें गांव के किसानों को ही बाद मे नुकसान उठाना पड़ता था। दिसम्बर सन् 1921 ई0 में कांग्रेस अधिवेशन में किसानों की सामूहिक वर्गीय मांगों को राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में पारित करने का प्रस्ताव पहली बार पेश हुआ सरकार की एक गुप्त रिपोर्ट के अनुसार अमृतसर कांग्रेस में किसान सभा (मांगोको प्रस्तुत करने वाला समूह) की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव में निम्न बातें थी।

(1) सम्पूर्ण भारत के किसान अपने जोतने वाली जमीन के वास्तविक अधिकारी घोषित किये जाये।

(2) किसानों से कर वसूला जा सकता है रेण्ट नहीं।

(3) कर केवल उन प्रदेशों में वसूला जा सकता है जहां जमींदारी प्रथा लागू है।

किसानों को अब तक प्राप्त जमीनों का मालिकाना अधिकार खरीदकर दे दिया जाये जो धीरे–धीरे किश्तो में सरकार को वापस हो जायेगी। इन प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए गुप्तचर विभाग के निदेशक ने कहा कि जमींन के बटवारे के मामले में रूस की साम्यवादी प्रणाली उनकों (भारतीय किसानों को) ज्यादा पसन्द है।[6]

उत्तर प्रदेश में भी इसी समय एक किसान सभा के संगठन का उल्लेख मिलता है अगस्त सितम्बर, 1945 के 'अभ्युदय' प्रयाग में प्रकाशित चार लेखों में **संयुक्त प्रान्त**

में किसान सगा का इतिहास में भी श्री इन्द्र नारायण द्विवेदी के अनुसार प्रदेश में प्रथम किसान सभा का गठन 1918 में हुआ और श्री पुरूषोतम दास टण्डन इसके अध्यक्ष तथा इन्द्रनारायण दिवेदी मन्त्री निर्वाचित हुय। इसका दितीय वार्षिक अधिवेशन गंगा घाट पर प्रयाग में 30–31 जनवरी 1919 ई॰ के किसान कार्यकर्ता रामनाथ तिपाठी की अध्यक्षता में हुआ। टण्डन जी पुनः अध्यक्ष चुने गये। इसके उपाध्यक्षों में एक पडित गोविन्द बल्लभ पन्त भी थे। इस संगठन ने स्थानीय स्तर पर किसानों की मांगो के लिय प्रयत्न भी किये परन्तु किसी सीधे सघर्ष की बात इन लेखो में नही कही गयी हैं इस संगठन का तीसरा व चौथा सम्मेलन भी प्रयाग में कमशः 21 जनवरी 1920 ई॰ तथा 7 फरवरी 1921 ई॰ को हुआ परन्तु कांग्रेस के असहयोग प्रस्ताव तथा अन्य मामलों को लेकर टण्डन जी व नेहरू से द्विवेदी का विरोध हो गया और किसान सभा में फूट पड़ गयी। अपने लेखों में इन्द्रनारायण द्विवेदी ने मुख्यतः किसानों की बात की है। और सरकारी अधिकारियों और जमीनदारों से मिलकर समस्याओं का समाधान करने की ओर हो ज्यादा ध्यान दिया गया है अवध के किसानों के संघर्ष से किसान सभा के संगठन के स्तर पर सम्बन्ध होने का दावा नही किया।[7]

इस प्रकार यह स्पष्ट है। कि कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई बड़ा आन्दोलन जमीदारों के विरूद्ध किसानों की आर्थिक मांगो और बदहाली को लेकर नही चल रहा था कुछ घटनाओ की पुष्टि सरकार न भी की थी। 17 जून 1921 ई॰ को संयुक्त प्रान्त की सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजे गये एक तार के अनुसार फरूखाबाद के एक गांव मे पुरानी दुश्मनी के कारण किसान जमींदार दंगो मे 4 या 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी लेकिन इस घटना का कोई राजनैतिक महत्व नही था 8 प्रदेश के कई जिलों में सूखा के कारण 1920–21 ई॰ में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो

गयी थी। 5 अप्रैल 1920 ई॰ के अभ्युदय में शिव–प्रसाद मित्र ने मिर्जापुर के कुछ क्षेत्रों के सूखा पीडित किसानों को तुरन्त राहत देने की मांग की जहाँ जमींदार इस समय भी अपना लगान मांग रहे थे। 3 मई 1920 को प्रताप मे प्रकाशित एक पत्र में कहा गया कि हमीरपुर में सूखा पीडित लोगों को सरकारी अधिकारियों की बेगार करने को बाहय किया जा रहा है।[९] अवध के जिलों में भी अकाल की काली छाया तेजी से व्याप्त थी फसलों के उत्पादन की कमी तथा अकाल ने किसानों की स्थिाति को गम्भीर बना दिया था। प्रदेश में महामारिया भी तेजी से फैल रही थी और रेलवे के जाल तथा सूती ऊनी वस्त्र उधोग के बावजूद वह किसानों को वैकल्पिक रोजगार देने में समर्थ नही थें और किसान अपनी आर्थिक समस्याओं से परेशान थे। ऐसे समय में अवध के तीन चार जिलों के किसान 1857 ई॰ के पूर्वजों की भांति विद्रोह की बात सोचने लगे थे। इस प्रकार उत्तर प्रदेश का प्रथम संगठित तथा विस्तृत जनाधार प्राप्त किसान संघर्ष प्रारम्भ हुआ।

राय बरेली तथा फैजाबाद में किसान संघर्ष

उत्तर प्रदेश में विशेषकर अवघ के क्षेत्रों में सबसे अधिक उत्पीड़क जमींदारी प्रथा लागू थी। नये कानून के अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा चारागाह जंगल तथा सिचाई के साधन स्थायी रूप से जमींदार की सम्पत्ति थी। किसानों का बहुमत अर्धदास या बिना अधिकार का टेनण्ट मात्र रह गया था। वह जमींदारों तथा कर्ज देने वालों की दया पर निर्भर था। और जमींदारों जो उनका बुरी तरह से शोषण कर रहे थे। कृषि की राष्टीय आयोग की रपट के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत के अन्य प्रान्तों की तुलना मे निर्धनता बहुत अधिक थी। प्रथम महायुद्व के पश्चात् के वर्षो में उत्तर प्रदेश के

एक खेत मजदूर की दैनिक मजदूरी 4 आने थी जबकि पंजाब में उस समय साधारण रूप से 12 आने दैनिक मजदूरी थी।[10]

पं. जवाहर लाल नेहरू के अनुसार

किसानों की लगातार बढती हुई निर्धनता लम्बे समय से चली आ रही थी। वे क्या कारण है। जिन्होनें देहाती क्षेत्र की स्थिति इतनी खराब कर रखी थी। वह निश्चित रूप से आर्थिक कारण थे परन्तु वह तो पूरे अवध के लिय समान है।[11] अवध तालुकेदारों की जमीन है। जमींदारी यहां अपने चरम उत्कर्ष पर है। और जमींदारों द्वारा बेदघली असहनीय होती जा रही हैं और भूमिहीन मजदूरों की संख्या लगातार बढती जा रही है।[12]

जमींदारों के परजीवी चरित्र का उल्लेख करते हुय **पं. जवाहर लाल नेहरू ने लिखा है।** कि अवध के जमींदार तालुकेदार ब्रिटिश साम्राज्य के बिगडे बच्चों की तरह थे। जो तेजी से समाज एक वर्ग या समुदाय के रूप में अपने अस्तित्व की पहचान खोते जा रहे थे। और वर्ग रूप से परजीवी नही जाने की अवस्था तक पहुंच चुके थे।

यह परजीवी जमींदार तथा साहूकार अनन्तकाल से किसानों का रक्त चूस रहे थे। सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया और कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जमींदार किसानों को बेगार के लिय बाध्य कर रहे थे। बिहार के बहुत से जमींदार बडी मात्रा में अपने किसानों का आसामियो से बेगार ले रहे थे।[13]

गांव के अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से दबे हुये थे। यह कर्ज वे अपने जमीन पर कृषि सम्बन्धी कार्यो को करने के साथ साथ नही सामाजिक तथा अनुत्पादन कार्यों के लिय भी लेते थे। इस पर ब्याज की दर इतनी अधिक थी कि कर्ज को किसान कभी नही चुका पाते थे। और पीढी दर पीढी अपनी स्वतन्त्रता को साहुकार की तिजोरी में

बन्द पाते थे। सेण्ट्रल बैंक इन्क्वायरी सी कमेटी की रजट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों साहुकारी कर्ज 1929 ई॰ में 124 करोड रूपये था। इस परिस्थिति में समस्या इतनी गम्भीर थी कि गांव का किसान हताश और निराश था। तथा साथ ही क्षुब्ध और उत्तेजित भी कि कभी भी छोटी धटना का विस्फोट चिंगारी का रूप ले सकता था। गांव की जनता केवल कृषि तथा कृषि मजदूरी के सहारे ही जीवन यापन कर रही थी। उस समय कृषि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक उपाय इतनी बड़ी संख्या मे किसानों के लिय जो अपनी संख्सा के कारण भूमि पर भार हो रहे थे तथा ओर कोई साधन उपलब्ध नही था। स्थिति इसलिय और भी खराब थी क्योकि वहां अधिकांश किसान भूमि के अस्थायी मालिक थे और उन्हें लगातार बेदखल किया जा रहा था परन्तु राय बरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ और सुलतानपुर में चिंगारी के विस्फोट का प्रमुख कारण बाबा रामचन्द्र की नेतृव्व प्रतिभा थी। इन तीनों जिलो में आन्दोलन का विस्फोट अधिकांश आशिंक रूप से बाबा रामचन्द्र के नेत्तृव्व की प्रतिभा एंव शक्ति का कारण था।

समय समय पर हुई बड़ी सभाओं के माध्यम से राय बरैली और फैजाबाद के किसानों को अपनी शक्ति का एहसास हो रहा था। किसानों को संगठित करने के लिये उनसे उन्होनें सही और गलत दोनों प्रकार के वायदे किये जिनमें आशामय भविष्य का संकेत था। बाबा रामचन्द्र ने राष्टीय आन्दोलन के नेताओं से भी किसान आन्दोलन में सहयोग की प्रार्थना की। जून 1920 ई॰ के प्रारम्भ मै ही वह प्रतापगढ के 200 से अधिक किसानों के साथ प्रयाग गये जहा जवाहर लाल नेहरू जी ने उनसे भेट कर उनकी समस्याओ पर बात चीत की तथा बाद में गांव की यात्रा का भी वचन दिया।[14] नेहरूजी ने बाद में गांव की यात्रा भी कि और किसान संगठन तथा आन्दोलन को लगातार तेज और मजबूती से संगठित होता हुआ पाया। दबे कुचले किसानों को एक नया विश्वास

अर्जित किया और उन पर जमींदार और पुलिस का आतक कम होने लगा। किसी किसान की बेदखली होने पर एस जमीन को पाने के लिये दूसरे किसान प्रयास नही करते थे। बाहर से तो यह शान्ति थी परन्तु तूफान से पहले की शान्ति इसी समय संघर्ष का सूत्रपात्र हुआ।[15]

इसका प्रारम्भ एक घटना से हुआ जिसका आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नही था। एक साधारण से गांव के जमीदार को अपने जो करिन्दो और आदमिया की भीड़ मे घिरा बैठा था उसकी पत्नी के प्रति अनैतिक तथा अनुचित व्यवहार का आरोप लगाकर सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा। पं0 जवाहर लाल नेहरू ने किसानो को आश्चर्यजनक रूप से अहिसक बताते हुऐ इस घटना को हिसा के उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किया है।[16]

इस घटना के स्वरूप (हिसात्मक या अहिसात्मक) को लेकर जितनी भी बहस हो यह सत्य है कि इस घटना ने जमीदारो के विरूद्ध किसानो मे अवज्ञा की एक नयी भावना पैदा की। किसान सरकार के विरूद्ध सन्नद्ध हुए जो जमीदारो एवं तालुकेदारो की जन्मदाता तथा संरक्षक थी और किसानो के ऊपर उन्हे थोपे रखने के लिए उत्तरदायी थी यह विरोध उनकी सभाओ के दौरान किसानो मे बडी संख्या मे बिना टिकट यात्रा के रूप मे प्रकट हुआ 1920 ई0 के अन्त मे कुछ किसान नेताओ की छोटे अपराधो मे गिरफ्तारी ने समस्या के अन्तर्विरोध को तीखा कर दिया। उनका मुकदमा प्रताप गढ़ शहर मे होने वाला था। लेकिन सुनवायी के अवसर पर किसानो की हजारो की संख्या से अदालत का अहाता खचा खच भर गया था। हजारो ग्रमीण किसान जेल के रास्ते पर पंक्तिबद्ध खडे थे। जिसमें किसान नेता रखे गये थे। मजिस्ट्रेट ने पहले तो सुनवायी

स्थगति करने का निश्चय किया लेकिन जब यह देखा कि भीड ने जेल को घेर रखा है। तो जेल के अन्दर ही सुनवायी करके किसान नेताओ को छोड दिया गया।

पं0 नेहरू के अनुसारः– यह किसानो की एक बडी जात थी जिसने उनके मन मे अपने संख्या बल के बारे मे विश्वास पैदा किया।[17]

जनवरी 1921 ई0 के प्रारम्भ मे राय बरेली जिले के दक्षिणी भाग के किसानो ने अपने तालुकेदारो जमीदारो के विरूद्ध सामुहिक विद्रोह किया।

जिलाधीश को ऐसी सूचनाऐ प्राप्त हुई कि किसानो का एक बडा दल एक जमीदारी से दूसरी जमीदारी मे घूमकर जमीदारी की सीर (व्यक्तिगत जोत की जमीन) की फसल नष्ट कर रहा था 2 जनवरी को सरदार निहाल सिंह जिनके परिवार ने 1857 ई0 मे अंग्रेज भक्ति के कारण काफी जमीन हथिया रखी थी, खेतों मे बोई गयी फसल अनुई नायक गांव में किसानो की भीड द्वारा नष्ट कर दी गई।[18]

3 जनवरी को अन्य एक राष्ट्र गद्दार चिचोली के राम प्रताप सिह की फसल नट कर दी गई। तालुकदार के अनुसार 8000 रूपये की हानि हुई थी। एक गोदाम को जबरदस्ती खोलकर लूट लिया गया जिसमे 5000 रूप्ये से अधिक की क्षति हुई। 5 जनवरी को एक हजार किसानों के दल के एक संगठन ने महिला जमीदार ठकुराइन शिवराज कुवर के खास आदमी राम सिह की कपडे की दुकान को जो रूस्तमपुर बाजार मे थी। पर हमला करके लूट लिया गया। एक अन्य जमीदार चादनिया के त्रिभुवन बहादुर सिह को भीड ने किसान नेता बाबा जानकी दास के नेतृत्व मे घेर लिया परन्तु एक अन्य पीडित जमीदार निहाल सिह के साथ पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट और डिप्टी कमशिनर के पहुचने पर ही उनकी रक्षा हो सकी। 13 किसान नेता घटना स्थल पर गिरफ्तार किये गये।[19]

6 जनवरी को सरदार निहाल सिह का गोदाम और जिलेदार का दफ्तर नष्ट कर दिया गया। इसी प्रकार तिलोई के राजा की सम्पत्ति भडका बाजार मे लूट ली गयी। डीह में दी गयी साहकारो बदरी बनिया और मुसम्मान दुरजिया के घरो को लूट लिया गया। इससे स्पट हो कि किसान अपनी वर्गीय मांगो के साथ ही अपने दुश्मनो के बारे मे सजग और चेतन थे तथा उनके आक्रमण का लक्ष्य जमीदार साहूकार तथा सरकार तीनो ही थे। यघपि 6 जनवरी को ही नियोजित मुंशीगंज बाजार की लूट लिया गया। जिलाधीश को दी गयी अपनी गुप्त रपट मे क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट ने स्पट रूप से स्वीकार किया था कि तीन–चार सौ व्यक्तियो की लाठीधारी भीड वे जो महात्मा गांधी की जय और राम औतार और औसान ब्राहमण से बातचीत का प्रयास किया गया उन्होने अनाज और वस्त्र की महगाई की शिकायत की तथा जमीदारो तालुकेदारो के जुल्म के बारे मे बताया और कहा की जब तक उनकी कठिनाइया को दूर नही किया जाता वह घर नही लोटेगे और जो भी सम्भव हो करेगे।[20]

पं0 जवाहर लाल नेहरू ने लिखा है कि असहयोग तथा किसान आन्दोलन यह दोनो अलग–अलग थे यघपि दोनो ने एक दूसरे पर उत्तर प्रदेश पर बडा प्रभाव डाल्ग था स्वराज्य एक ऐसा व्यापक शब्द था जिसमे सभी समावेश था।[21]

फुरसत गंज बाजार की घटना का विस्तृत विवरण देते हुए तथा वहा व्यापत तनावपूर्ण स्थिति का वर्ण करते हुए क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट ने लिखा है कि किसान सूदधोर, महाजनो तथा जमीदारों के विरूद्ध बहुत उत्तेजित था तथा मार डालो जला डालो आदि की आवाज लगा रहे थे। उनकी संख्या करीब 8–10 हजार थी और वे लाठियॉ कुल्हाडिया से लैस मार पीट को अमादा थे। एक ने जब मेरी ओर लाठी फैकी तो मैने सशस्त्र पुलिक को सावधान रहने का आदेश दिया। अपने कारतूस खोलने तथा बन्दूकें

और संगीने सीधे रखने को कहा। जब मैने भीड तितर–बितर करने के लिए हवाई फायर करने का आदेश दिया तो भीड मे से यह स्वर उभरा कि सिपाही सख्या मे कम है और उनकी बन्दूके छीन ली जाऐ। इसी समय एक किसान ने मजिस्ट्रेट पर कुल्हाडी तानी और इसी समय फायर करने का आदेश हुआ गोली चलने मे चार व्यक्ति मारे गये तथा दो घायल हुए। लखनउ से अतिरिक्त पुलिस तथा सेना की टुकडिया भेजी गयी तथा बहुत सी गिरफ्तारियाँ भी की गई।[22]

इसके बाद स्थिति मे और भी परिवर्तन हुआ। किसान नेता बाबा जानकीदास जो चांदनिया मे किसान आन्दोलन के सम्बन्ध मे गिरफ्तार हुऐ थे तथा उन्हे रायबरेली जेल मे रखा गया। प्रताप गढ के जेल घेराब के अपने अनुभव से उत्साहित होकर किसानो ने रायबरेली की और कूच किया और 7 जनवरी को जेल को घेरकर अपने नेताओ की रिहाई की माग की। परन्तु इस बार अधिकारी भी दृढ़ थे कि वे संख्या बल के सामने नही झुकेगे। उन्होने मुख्य जुलूस को अतिरिक्त पुलिस तथा सेना के दस्तो की मदद से नदी के पार ही रोक दिया और जेल के सामने की भीड को सशस्त्र पुलिस की बन्दूक के कून्दो से पीछे नदी के किनारे तक धकेल दिया। यहां मुशीगंज के निकट एक विपरीत दिशा से आते किसान जुलुस से मिलकर भीड की संख्या 10 हजार तक पहुँच गयी। भीड ने पुनः अपने नेताओ की रिहाई की माग की परन्तु जिलाधीश ने उत्तर दिया कि बाबा रामचन्द्र, जानकीदास और बाबा रामगुलाम लखनऊ जेल भेज दिये गये है। तथा छोडे नही जा सकते। इससे भीड पुनः कोधित हुई। घुडसवार पुलिस ने जो वहा तैनात थी गोली चलायी जिससे बहुत से लोग मारे गये और घायल हुए। बहुत से लोग भीड मे घोडो से कुचलकर भी घायल हुए। किसानो ने ईंट पत्थरो से प्रतिरोध किया जिससे बहुत से सवार घायल हुए। **पं0 नेहरू** जो उस समय वहा पहुँचे थे। घटना का आखो देखा

विवरण देते हुऐ लिखा है। कि जैसे ही मै नदी के पुल के पार पहुचा मैने गोली चलने की आवाजे सुनी। मुझे सेना द्वारा पुल पर रोक दिया गया। वहाँ बहुत से किसान गोली चलने के कारण मारे गये। तितर–बितर होने और लौट जाने से इनकार के अलावा वे पूर्ण रूप से शान्तिमय थे। उन्होने उन लोगो की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया जिनका वे विश्वास नही करते थे।[23]

13 और 14 जनवरी को फैजाबाद जिले की टाण्डा तहसील के बसखारी जहांगीर गंज में किसान विप्लव प्रारम्भ हो गया। यहां के अधिकाश गॉव जमीदार के अधीन थे। और इन क्षेत्रो मे किसानो का वर्गीय संगठन किसान सभा बहुत ही संगठित थी। सभा के मुख्य समर्थक भूमिहीन किसान तथा कृषि मजदूर थे। जो मुख्यतः ब्राहमण जमींदारो के नौकर थे। 12 जनवरी को किसान सभा की ओर से एक सभा हुई। जिसमे किसान तथा कथित छोटी जाति के मजदूरो को पुरानी मजदूरी पर काम न करने के लिए तैयार किया गया। उनसे प्रतिज्ञा ली गयी। कि इन किसान मजदूरों को हडताल करने के लिए भी प्रेरित किया गया। उनसे कहा गया कि यह महात्मा गाधी की इच्छा है कि वे लूटमार करे और अंगेजी राज का समय नजदीक है। तथा गॉधी राज कायम होने वाला है। इसकी आलोचना करते हुए नेहरू जी ने कहा कि लगता है कि इस प्रकार का प्रचार दूसरे जमीदारो के नौकरो द्वारा किया गया। जो उस समय जमीदार के शत्रु थे। उनके अनुसार गरीब तथा अज्ञानी किसानो से कहा कि लूटपात हो ऐसी गाधी जी की इच्छा है और वह खुशी–खुशी महात्मा गॉधी की जय बोलते हुए लूटपात की प्रकिया मे शामिल हो गये।

आन्दोलन के पहले दौर की सफलताओं ने आन्दोलन कारियों की ओर भी प्रेरित किया तथा शक्ति प्रदान की। 13 जनवरी को समाज के अछूत तथा पिछड़ी जाति के

किसानों तथा मजदूरों और छोटे दलित किसानों के बडे दल ने अपना मार्च प्रारम्भ किया और जिसके पास जो कुछ भी था लूटा आन्दोलनकारियों की बड़ी संख्या से भयभीत जमींदार उनका कुछ भी प्रतिरोध नहीं कर सके।[25]

13 और 14 जनवरी को 30 गांवों में लूटपाट की घटनाऐं बिना किसी सरकारी या जमींदारों के प्रतिरोध के चलती रही। ऐसा लगता था कि उन किसान जत्थों का राज स्थापित हो गया है। बड़े तथा विशिष्ट जमींदारों के अनाज के गोदाम लूटकर बांट दिये गये। कुछ स्थानों पर तो न केवल अनाज लूटा वरन् जमींदार के घर का सारा सामान लूट लिया गया।[26]

यह आन्दोलन की चर्म परिणति थी। लूटमार की घटनाओं के लक्ष्य जमींदार तो थे ही, लेकिन किसानों के शोषक तथा तात्कालिक दुश्मनों के रूप में उनके सामने थे। और जमींदारों के आदमी समझे जाते थे। डिप्टी कमिश्नर तथा पुलिस सुपरिन्टेण्डेन्ट के नेतृत्व में विशाल पुलिस दल के पहुंचने पर गिरफ्तारियां हुई तथा लूट का कुछ सामान भी बरामद कर लिया गया।[27]

19 जनवरी को किसान नेता एक जमींदार द्वारा पीटे गये जिनके परिवार की स्त्रियों के कपडे तक लूटमार के दिन फाड़ दिये गये थे। अपमानित नेताओं में से एक ने बाजार में एक सभा की और कहा कि वह पुलिस के इसारे पर पीटा गया। दूसरे ने तब तक थाने के सामने धरना देने का निश्चय किया जब तक पुलिस क्षमा नहीं माँगती। यद्यपि जिलाधीश ने सभा पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। परन्तु उत्तेजित किसानों ने उसकी अवज्ञा करके भारी संख्या में बसखारी गाँव में एकत्र होना प्रारम्भ किया तथा उन्हें तितर–बितर करने में पुलिस असमर्थ थी तथा स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही थी।[28]

परन्तु सरकार द्वारा घटना ही जाँच का लिखित आश्वासन देने पर ही भीड़ को वापिस करना किसान नेताओं ने स्वीकार किया। जाँच का परिणाम 27 फरवरी को अकबरपुर में होने वाली बैठक में तय होना था परन्तु उसके शीघ्र ही बाद गोसाई गंज में दंगा हो गया और बसखारी गाँव में सभा में तैनात दो सिपाहियों को पीट दिया गया। इस समबन्ध मे 13 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। गिरफ्तार किसान सभा के एक नेता के सामान से जो कागजात बरामद हुए उसमें अधिसंख्य कृषि समस्याओं के सन्दर्भ में गाँधी को सम्बोधित याचिकाए थी।

17 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने ग्रह सचिव को डिस्पैच भेजा जिसमें कहा गया था कि अवध में कृषि समस्या और संघर्ष बहुत गम्भीर है और अवध रेंट एक्ट में शीघ्र संशोधन आवश्यक है।

29 जनवरी, 1921 ई0 को एक बड़ी भीड़ ने एक किसान नेता को छुड़ाने के लिये गाड़ी रोक ली। सरकारी विवरणों में 1919–23 ई0 के आन्दोलन की डकैतों के गिरोह का काम बताया। परन्तु यह स्वीकार किया गया है कि गिरोह ने केवल धनी वर्ग और सामान्तों को ही लूटा और साधारण किसानों की सहानुभूति उनके साथ थी। रिर्पोट में कहा गया है कि इन डकैतों के विरूद्ध कोई कार्यवाही कर पाना भी प्रायः असंभव है। क्योंकि पीड़ित लोगों के अतिरिक्त उनके विरूद्ध गवाही देने को कोई तैयार नहीं होता। अधिकृत सरकारी सूत्रों के अनुसार राय बरेली जिले में कुल मिलाकर 1024 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जिनमें फुरसतगंज के मामले से सम्बन्धित 108 व्यक्तियों को कड़ी सजायें दी गई।[29]

जेल में और जेल से बाहर जोरों का दमन चक्र आरम्भ हुआ और आतंक का राज्य कायम हो गया। सरकार के अफसरों ने अपने देशी दलालों की रक्षा के लिये इस

विद्रोह को कुचल देने का फेसला किया। क्योंकि चरखा किसानों मे बहुत लोकप्रिय था अतः चरखे को विद्रोह का प्रतीक मान लिया गया।[30] मार्च 1921 ई0 के प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश के एक अन्य पूर्वी जिले सुल्तानपुर में भी किसान आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ साम्राज्यवादी प्रशासन में किसान समस्याओं का समाधान करने के स्थान पर दमन चक तेज कर दिया गया और किसान न केवल गिरफ्तारी के शिकार हुए वरन् उन्हें मारा पीटा और अपमानित भी किया गया।[31] इसके विरोध में 6 मार्च के इण्डिपेंडेंट में प्रकाशित अग्रलेख में कहा गया कि इस समय सरकारी दमन कल्पनातीत है। इस पूरे किसान संघर्ष में सबसे गौरवशाली भूमिका रायबरेली जिले की थी मार्च के अन्त में सलीन तहसील में पुनः सघर्ष प्रारम्भ हो गया। 20 मार्च 1921 ई0 को करहिया में होने वाली एक प्रतिबन्धित सभा में दो किसान नेताओं की गिरफ्तारी के दौरान जब सशस्त्र पुलिस ने किसानों पर हमला किया तो विद्रोह प्रारम्भ हो गया और उग्र किसानों ने पुलिस को घेर लिया।[32]

इस दमन चक्र ने किसानों को और भी उत्तेजित किया। 17 अप्रेल 1921 ई0 को किसानों की एक भीड़ ने रायबरेली की कलक्टरी कचहरी को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त किया। किसानों को आतंकित करने तथा आतंक का राज्य कायम करने के लिये शान्ति व्यवस्था के नाम पर जिले के दक्षिणी हिस्सों में जहाँ किसान आन्दोलन लम्बे समय से चल रहा था 28 वीं सेना ने पैदल मार्च किया। दूसरे जिलों से जहाँ स्थिति शान्त थी हजारों सैनिक आन्दोलन का दमन करने तथा आतंक कायम करने के लिये बुलाए गए।[33]

इलाहाबाद जिले के राजनैतिक सम्मेलन में, जो 10–11 मई, 1921 ई0 को हुआ, अवध के किसानों की स्थिति पर विस्तार से विचार किया गया। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य असहयोग आन्दोलन से सम्बन्धित लोगों का

नेतृत्व किसान सभा में कायम करना था विशेषकर अवध के प्रतिबन्धित क्षेत्रों के जो समीप भी थे। मोती लाल नेहरू के हस्ताक्षर से किसानों में पर्चे बाँटे गये। प्रतापगढ़ में पर्चे बाँटते समय कुछ युवक गिरफ्तार किये गये, उनको मारा पीटा गया और अपमानित किया गया। इस घटना का विरोध समाज में राजनैतिक चेतना से युक्त सभी समूहों ने किया।[34]

इलाहाबाद जिले के एक गाँव में गम्भीर कृषि आन्दोलन का समाचार 22 मई के स्थानीय तथा राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित हुआ। इसके अनुसार गाँव के मुस्लिम जमींदारों तथा किसानों (जिनमें अधिकांश हिन्दू थे) एक तनाव व्याप्त हो गया परन्तु सौभाग्यवश किसान नेताओं की कुशलता से साम्प्रदायिक रूप लेने से बच गया उत्तर प्रदेश सरकार की मई के दूसरे पक्ष की पाक्षिक रिर्पोट में आन्दोलन के लिये असहयोगियों को दोषी ठहराया गया।[35]

किसान सम्मेलनों तथा आन्दोलन में सरकार की प्रतिष्ठा को काफी हद तक धूमिल किया। 13 मई को भारत सरकार के गृह सचिव को भेजे गये अपने तार में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है और अफसरों का मनोबल तेजी से गिरता जा रहा है। तार में कहा गया कि सरकार में लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है अधिकारी हताश हैं और यूरोपीय समुदाय का जीवन खतरे में है।

भारत मन्त्री को भेजे गये। 9 जून 1921 ई0 तार में उत्तर प्रदेश की स्थिति के सम्बन्ध में वायसराय ने लिखा कि स्थिति बहुत अशान्त है और स्थायी शक्ति की वापसी की सम्भावनाएं बहुत कम हैं।

आन्दोलन की प्रमुख विशेषताऐं एवं महत्वः–

उत्तर प्रदेश का किसान आन्दोलन देश के तत्कालीन किसान आन्दोलनों में सबसे परिपक्व, पूर्ण तथा संगठित था। इसके गतिशील चरित्र की प्रशसा करते हुए लंदन टाइम्स ने अपने 6 मार्च 1922 ई0 के अंक में लिखा ''हाल की राजनीतिक जागृति से किसानों ने अपने अधिकारों के लिये संघर्ष सीखा है''।[36]

सघर्ष का वर्ग चरित्र स्पष्ट रूप से परिभाषित था। अन्य प्रदेशो के किसान आन्दोलन में जहाँ धर्म की एक प्रमुख भूमिका थी। उत्तर प्रदेश में किसान आन्दोलन में जहाँ धर्म से एकदम अलग था। यद्यपि आन्दोलन के नेताओं बाबा रामचंद्र आदि ने तुलसीदास कृत रामायण से दृष्टांत देकर किसानों को इकट्ठा किया और इस तथ्य ने कि उत्तर प्रदेश का किसान बहुमत हिन्दू था फिर भी आन्दोलन के समय जातिगत विभिन्नताएं पृष्टभूमि में चली गई थीं।

14 जनवरी 1921 ई0 को रायबरेली जिले के डिप्टी कमिश्नर द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को भेजी गई रिर्पोट में कहा गया असहयोग आन्दोलन के समर्थक जो विधार्थियों तथा जनता मे असंतोष पैदा करने में असफल हो गये थे। अपने एक्शन के लिये कार्य क्षेत्र की तलाश में थे। वे विधार्थियों तथा जनता को एकदम प्रभावित नहीं कर सके क्योंकि उनकी कोई वास्तविक समस्या नही थी। अवध के किसानों को वह एक निश्चित सीमा में उत्तेजित करने में सफल अवश्य रहे जिनकी अपने जमींदारों के प्रति उचित शिकायतें थीं। किसान अपनी दशा में सुधार तथा नजराने और बेदखली की लड़ाई के लिये ही उत्सुक थे।[37]

देश के अन्य भागों की भाँति उत्तर प्रदेश के किसान आन्दोलन ने साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रीय आन्दोलन से मिलकर पूरे देश में चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी। सरकार

इन विद्रोहों की ओर पूरा ध्यान देने को बाध्य हुई। एक सैनिक कमाण्ड ने जो अवध के इन जिलों में किसानों को आतंकित और विद्रोह का दमन करने के लिये तैनात थी अपनी रपट में कहा कि किसान विद्रोह के कारण अवध की स्थिति बहुत ही गम्भीर थी और भू–राजस्व के परम्परागत नियमों और प्रशासन के लिये खतरा पैदा हो गया था। किसानों की माँगों तथा आन्दोलन से विवश होकर सरकार ने अवध की राजस्व वसूली की जाँच के लिये एक आयोग का गठन किया तथा आयोग की रपट प्राप्त होने के बाद **रेंट एक्ट ऑफ अवध 1921** ई0 पास किया। लेकिन अधिकतर किसान चूंकि अस्थायी काश्तकार या सबटेनेन्ट थे। जैसा **पं0 जवाहरलाल नेहरू ने कहा है** "किसानों को इस भूमि कानून का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ।"[38]

1921 ई0 के रेंट एक्ट के पीछे भले ही छोटे किसानों तथा भूमि पर स्थायी अधिकार रखने वाले आकूपेंसी टेनेट और लाइफ टेनेंट को कुछ लाभ हुआ हो। अधिकारियों का वास्तविक उद्देश्य धनी किसानों की स्थिति में सुधार का प्रयास था। उनको आशा थी कि इससे गाँवों में उनका स्वामिभक्त वर्ग पैदा होगा जिससे उनका प्रभाव बढ़ेगा और कृषि की उपज की हानि भी कम होगी लेकिन इससे वांछित लक्ष्य नहीं प्राप्त किये जा सके। आधे मन से किये गये प्रयास के कारण यह दोनों ही उद्देश्य प्राप्त नहीं किये जा सके और किसानो में असन्तोष बरकरार रहा तथा साथ ही कृषि उपज में गिरावट थी।[39]

चौरी–चौरा और उसके बाद प्रदेश में किसान आन्दोलन

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि उस समय देश में असहयोग आन्दोलन तेजी से चल रहा था। यद्यपि किसान तथा असहयोग आन्दोलन दोनों अलग–अलग

आन्दोलन थे और अलग समस्याओं के संदर्भ में हुए परन्तु दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित भी किया तथा एक दूसरे से सहयोग भी किया।

असहयोग आन्दोलन पूरे देश के स्तर पर चल रहा था और सारा देश ब्रितानी साम्राज्य के विरूद्व अपनी व्यापक मांगों के लिये महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था। इसी समय गोरखपुर जिले के चौरा–चौरा नामक स्थान पर फरवरी 1922 ई0 के प्रारम्भ में आन्दोलनकारी भीड़ पर पुलिस के लोग थाने में चले गये और दरवाजा बन्द कर लिया बाहर की उत्तेजित भीड़ ने जब यह समझा कि पुलिस के लोग निशस्त्र होकर छिप रहे है तो अपने साथियों की मौत से कोधित भीड़ ने थाने को आग लगा दी जिससे 21 पुलिस के लोग जलकर मर गये। यह एक स्वाभाविक प्रतिकार की घटना थी। जिससे पुलिस ने ही पहले गोली चलाकर बहुतों को हताहत किया था।

कांग्रेस कार्य समिति ने बारटोली में एक प्रस्ताव पास किया कि ऐसी शिकायतें है कि किसान रैयत जमींदार को लगान नहीं देते जो गलत है और कांग्रेस प्रस्तावों तथा देश के हित के विरूद्व हैं साथ ही प्रस्तावो में जमीदारों को आश्वासन दिया गया यदि कहीं जमींदारों और किसानों मे विवाद हो तो उसे समझौते से सुलझाने का प्रयास किया जायेगा।

अवध के किसानों ने अपना संगठन एक संघ के नाम से बनाया जिसके नेता दो तथा कथित छोटी जातियों के पासी मदारी और शाहरेव थे इस संगठन के निर्माण ने अवध के क्षेंत्रों में एक रिक्तता की पूर्ति की और उत्तर प्रदेश में किसान आन्दोलन को शक्ति प्रदान की 1922–23 ई0 के प्रथम 6 महीने में जितनी घटनाएं हुई हैं वह सन् 1921 ई0 के अन्तिम 6 महीनों की घटनाओं की दुगुनी है इससे यह प्रकट होता था कि पहले के आन्दोलन के अनुभवों से किसानों ने सीख हासिल की और इस बार संख्या बल

पर भरोसा न करके अधिक मजबूत ओर लड़ाकू तथा सीमित संगठन का निर्माण किया ओर अपने आन्दोलन का और भी अधिक विस्तार किया।[40]

एकासंघ के नेतृत्व में किसानों ने जो मांगे रखी यह जनता के एक बड़े हिस्से के लिये थी। उनमें गांव के भूमिहीन गरीब मजदूर किसान तथा वे लोग भी शामिल थे। जिनके पास थोड़ी अपनी जमीन भी थी। इस संगठन के कार्यक्रम में जो 10 मार्च, 1922 ई0 को इण्डियन डेली न्यूज में प्रकाशित हुए थे। किसानो से कहा गया कि उन्हें उन खेतों पर से हटने से इंकार कर देना चाहिए जहां से उनको गैर कानूनी तरीके से बेदखल किया जा रहा हो। इसके अतिरिक्त केवल निर्धारित लगान जमा करके भुगतान की रसीद की मांग करने, बिना उचित मजदूरी के जमींदार के यहां काम न करने तालाबों से निःशुल्क पानी लेने और अपने पशुओं को जंगलों तथा चारागाहों में चराने के लिये आह्वान किया गया। 1 मार्च 1922 ई0 में अवध के क्षेत्रों में इसने एक बड़े किसान विप्लव का रूप धारण कर लिया।[41]

1922 ई0 के प्रारम्भ में ही हरदोई जिले में किसानों के एक दल ने जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति थे। लाठी तथा ईंट–पत्थरों से लैस जमीदारों के घर पर हमला किया। पुलिस ने जमींदारों की रक्षा का प्रयास किया। पुलिस ने यहां गोली भी चलायी परन्तु किसानों ने दृढ़तापूर्वक प्रतिरोध किया। इस घटना के कई दिन बाद एकासंघ ने बाराबकी जिले में सभाएं आयोजित की जिसमें वक्ताओं ने ब्रितानियों को बाहर निकालने तथा जिलाधिकारी को मार डालने जैसे बातें भीड़ के सामने कहीं। यह किसान आन्दोलन की मजबूती का प्रतीक था। जिसने सरकार को क्रूरतम दमनके लिये मजबूर किया थां इस प्रकार अवध के किसानों का शानदार विद्रोह कठोर दमन के बीच समाप्त हो गया लेकिन इन आन्दोलनों की यह सफलता रही कि इसने किसान जनता के बहुमत को अपनी

समस्याओं तथा मांगों के लिये चेतन बनाया तथा उनको संघर्ष करने की प्रेरणा दी। इन आन्दोलनों के अपने दुश्मन जमींदार तथा उसके संरक्षक ब्रितानी साम्राज्य को समान रूप से दुश्मन माना परन्तु यह असहयोग आन्दोलन का निष्क्रिय हिस्सा नहीं था वरन् एक स्वतः स्फूर्त आन्दोलन था। जिसमें जनता की सक्रिय हिस्सेदारी थी। किसान अपने अधिकारों से चेतन होकर अपने दुश्मनों पर हमला कर रहे थे। परन्तु आन्दोलन चूंकि स्वतः स्फूर्त था। अतः उसमें ऐसी घटनाएँ अधिकतर प्रशासन या जमींदारों की तरफ से ही होती थी। परन्तु अभी तक प्रदेश या देश का किसान आन्दोलन जमींदारों को समाप्त करने की चेतना से लैस नहीं हो पाया था इस प्रकार प्रदेश में किसान आन्दोलन का गौरवशाली अध्याय सरकार के कठोर दमन के बीच समाप्त हुआ और एक लम्बी चुप्पी सी छा गयी। असहयोग आन्दोलन के स्थगन तथा अवध के एकासंघ के आन्दोलन की कठोर–दमन के बीच समाप्ति से उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्रों तथा अन्य राजनैतिक क्षेत्रों में हुई चुप्पी एक स्वाभाविक प्रकिया थी।[42]

इस आन्दोलन के बाद सात वर्षों तक किसान आन्दोलन के क्षेत्रों में कोई उल्लेखनीय गतिविधि नहीं हुई। कुछ छिटपुट स्थानीय किस्म की घटनाऐं अवश्य घटी थीं।

इस समय एकमात्र संगठितआन्दोलन 1930 का लगान बन्दी का आन्दोलन था। जिसका नेतृत्व कांग्रेस ने किया। इस समय तक देश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ हो चुका था परन्तु कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख करते हुए **जवाहर लाल नेहरू ने लिखा है** कि शहरों तथा कस्बों के मध्यवर्गीय लोग हड़ताल जुलूसों से ऊब चुके थे। ऐसे में किसान एक सुरक्षित शक्ति के

रूप में उभरे। यह सही अर्थों में जन आन्दोलन था जिसमें कई सामाजिक समस्यायें उठी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने आन्दोलन के विस्तृत जनाधार प्रदान करने के लिये तथा शहर और मध्यवर्गीय आन्दोलनकारियों की स्थिति को देखने के बाद कांग्रेस विकल्पहीनता की स्थिति में पुनः गांवों में आन्दोलन संगठित करने की ओर मुड़ी और गांवों में लगान बन्दी का कार्यक्रम घोषित किया गया।

पं0 जवाहर लाल नेहरू ने इस पर लिखा है कि उस समय कांग्रेस का जो स्वरूप था उसमें वह वर्ग संघर्ष की प्रश्रय नहीं दे सकती थी। इसलिये इसन जमीदारों और किसानों दोनों से लगान न देने को कहा।[43]

इसी समय 19 अक्टूबर 1930 ई0 को जवाहर लाल नेहरू ने इलाहाबाद जिले के किसानों का एक सम्मेलन बुलाया जो केवल प्रतिनिधियो के लिये था। सम्मेलन के पूर्व मसूरी से इलाहाबाद के रास्ते से उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। देहरादून और लखनऊमें उन पर धरा 144 की नोटिस तामील की गयी परन्तु उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इलाहाबाद जिले के इस किसान सम्मेलन में करीब 1600 से अधिक किसान प्रतिनिधि उपस्थित थे। सम्मेलन में करबन्दी तथा लगानबन्दी का निर्णय लिया गया यह एक गम्भीर निर्णय था परन्तु किसान प्रतिनिधि दृढ़ थे ओर संघर्ष के लिये प्रतिबद्व भी।[44]

पं0 जवाहर लाला नेहरू ने लिखा है:– लेकिन वहां उपस्थित 1600 किसानों में कोई सन्देह और संकोच कम से कम दिखायी दे रहा था इस सम्मेलन के ही दिन जब नेहरू जी सायंकाल किसानों तथा नागरिको की एक संयुक्त सभा को सम्बोधित करके लौट रहे थें उनको आनन्द भवन से कुछ ही दूरी पर गिरफ्तार करके नैनी जेल

भेज दिया गया। उनकी इस अवसर पर गिरफ्तारी ने किसान प्रतिनिधियों की जो सम्मेलन के बाद अभी शहर में ही थे। उत्साहित किया और लगान बन्दी के इस आन्दोलन में जिले के कोने–कोने की किसान जनता ने सक्रिय साझेदारी की और उत्साह से आंदोलन का साथ दिया।

इलहाबाद के साथ ही अन्य जिलों में भी यह लगानबन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ हो गया कुछ स्थानों पर तो किसानों ने जान बूझकर स्वयं लगान देना बन्द कर दिया परन्तु कुछ ऐसी भी जगह थी जहां अनाज की गिरी हुई कीमतों के कारण किसान वास्तव में ऐसी स्थिति में नहीं थे कि जमींदार का लगान या साहूकार का ब्याज दे सकते।[45]

लखनऊ के **अवध अखबार** नामक पत्र ने एक लेख में जिसका शीर्षक **'दि इको मिस्टर गांधीजन** था मैं गाँधी जी द्वारा वायसराय लार्ड इर्विन को लिखे 2 मार्च 1930 ई0 के पत्र की चर्चा की है। जिसमें भू–राजस्व में 50 प्रतिशत कमी की बात कहीं गयी है और कहा है कि गांधी जी वह बात कमसे कम इस प्रदेश के लाखों किसानों की आवाज बन गयी है। किसान आन्दोलनका चरित्र मुख्यतः अहिंसक ही था परन्तु इस स्वतः स्फूर्त आन्दोलन जिसका आह्वान मात्र करने की ही जिम्मेदारी कांग्रेस पर थी। अन्य किसी बात की नहीं आन्दोलन के समय हिंसा की घटनाएं भी हुईं। ऐसी ही एक घटना का उललेख करते हुए पत्र हिम्मत ने लिखा है कि हमें विश्वास है कि जिला फतेहपुर के तहसीलदार की निर्मम हत्या से किसानों के अन्तहीन कष्टों की ओर सरकार की आंखें खुलेंगी और वह सचेत होगी और भू–राजस्व में 50 प्रतिशत कमी करने पर सहमत हो जायेगी तथा ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाऐं अन्य जिलों में न हो सकें।[46]

इस प्रकार हम देखते है कि इस काम में कांग्रेस का लगानबन्दी का कार्यक्रम देने के बाद स्वतः स्फूर्त वर्ष से ही किसान आन्दोलन चलता रहा जो प्रदेश के विभिन्न भागों में छिटपुट घटनओं के रूप मे प्रकट हुआ इसका स्वरूप शुद्व रूप से स्थानीय था ओर मांगे भी अलग–अलग थी। सिवाय लगानबन्दी के जिसका प्रमुख कारण कृषि उपज के मूल्यों में भारी कमी थी और इस कमी के कारण किसान वास्तव में लगान दे सकने में लगभग असमर्थ थे। यद्यपि इस विवरण मे लगानबन्दी आन्दोलन का वर्णन अधिक किया गया है और इसे स्वराज्य प्राप्ति का एक मात्र महत्वपूर्ण साधन माना गया है यद्यपि वास्तविकता यह नहीं थी फिर भी यदि कांग्रेस ने साहस दिखलाया होता और पूरे देश में संगठित रूप से लगानबन्दी का आन्दोलनजमींदारोंके विरोध का खतरा मोल लेते हुए चलाया होता तो निश्चित ही देहाती क्षेत्रों में उत्पादन के सम्बन्धों में गुणात्मक परिवर्तन हुआ होता और ब्रितानी साम्राज्य का स्वामिभक्त दलाल, जमींदार निश्चय ही बहुत कमजोर हुआ होता परन्तु कांग्रेस यह मोका चूक गयी।[47]

इस प्रकार जहा एक तरफ छिटपुट किसान संघर्षों का विस्फोट हो रहा था दूसरी ओर जमींदारो का जुल्म भी अपनी सीमा पर था। लगान जबरदस्ती वसूल किया जा रहा था ओर उसके लिये साम्राजयवादी प्रशासन का सहयोग लेकर क्रूर तरीके भी अपनाऐं जा रहे थे। प्रताप नामक पत्र ने विदहा (फैजाबाद) के 7 किसानों का एक पत्र प्रकाशित किया कि जमींदार उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। लगान न देने पर किसानों को मारा पीटा जाता है। इसी पत्र ने किसान सेवा संघ मकरही गांव (बलिया) के मन्त्री बेजूराम का एक लेख प्रकाशित किया गया कि टाण्डा (फैजाबाद) के किसानों की स्थिति चिंताजनक है, फिर भी जमींदार और साहूकार उन पर अत्याचार कर रहे हैं, दफा 48 के अन्तर्गत बेदखलिया जोर–शोर से चल रही है किसान, जो लगान भी देने मे

असमर्थ है उनसे नजराना रसीदवाना, भूसा ओर कोल्हू आना वसूल किया जा रहा है ये किसानों पर लगाये गये ऐसे कर थे जिनका भुगतान जमीदार के घर कोल्हू लगाने, हाथी या मोटर खरीदने पर किसानो को करना पड़ता था। लगान में सरकार द्वारा दी गयी छूट भी नहीं दी जाती थी और उनको मारा–पीटा जाता है तथा लगान वसूल करने के लिये उन्हें घण्टों धूप में बैठाया जाता है।[40]

इस प्रकार हम देखते है कि कठोर दमन के बावजूद किसान अपनी समस्याओं से इतने त्रस्त तथा हताश थे कि छिटपुट संघर्ष की घटनाऐं घटती थीं परन्तु एक तो ऐसा कोई संगठन नहीं था जो सम्पूर्ण आन्दोलन को एक सूत्र में बांध सकता और कांग्रेस जिसके पास इस तरह का संगठन था वर्ग संघर्ष से कतराकर निकल जाने की प्रवृति तथा मनःस्थिति से त्रस्त थी इसी कारण यद्यपि अवध के क्षेत्रों में उस समय देश का सबसे गौरवशाली किसान संघर्ष हुआ ओर वह भी किसी परिणाम तक नहीं पहुंच पाया। इस समय के किसान आन्दोलन न जमींदारों के जुल्म का दृढतापूर्वक विरोध किया।

इस समय तक पड़ोसी प्रान्त बिहार तथा बंगाल में मजबूत किसान आन्दोलन संगठित हो रहा था बिहार के आन्दोलन को स्वामी सहजानन्द सरस्वती जैसा कर्मठ नेता प्राप्त हुआ था कुछ छोटे दल जैसे पी0 सी0जोशी की वर्क्स एण्ड पीजेण्ट्स पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे काफी समय से कार्यरत थी किसान नेताओं ने किसानों की वर्गीय मांगों के लिये अखिल भरतीय संगठन की आवश्यकता का अनुभव किया। जिनमें टण्डन जी मोहन लाल गौतम तथा स्वामी सहजानन्द सरस्वती प्रमुख थे। इस प्रकार किसानों के एक अखिल भरतीय संगठन के निर्माण की बात सुनायी देने लगी।

सन्दर्भ सूची:

1. डा0 ताराचन्द: हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इण्डिया खण्ड 3 पृ0 267
2. चौधरी–सुखवीर: पीजेन्टस एण्ड वर्क्स मुवमेंट इन इण्डिया (1905–22) पृ0 76–77
3. नेहरू जवाहरलाल: इन आटोबायोग्राफी पृ0 232, 234
4. रंगा, एन0 जी0: किसान स्पीक्स, पृ0 151
5. वही0 पृ0 80
6. चौधरी–सुखवीर: पीजेन्टस एण्ड वर्क्स मुवमेंट इन इण्डिया, पृ0 80, 81
7. वही0 पृ0 145
8. नेहरू, जवाहरलाल: एन0 आटो बायोग्राफी, प0 60–61
9. इण्डिपेंडेंट (दैनिक इलाहाबद) 25 मार्च 1921
10. चौधरी–सुखवीर: पीजेन्टस एण्ड वर्क्स मुवमेंट इन इण्डिया, पृ0 95
11. वही0 पृ0 234
12. वही0 पृ0 237
13. प्रताप (साप्ताहिक, कानपुर) 5 सितम्बर 1926 पृ0 14
14. चौधरी–सुखवीर: पीजेन्टस एण्ड वर्क्स मुवमेंट इन इण्डिया, पृ0 98
15. नेहरू, जवाहर लाल: एन बायोग्राफी, पृ0 232
16. वही0 पृ0 59
17. वही0 पृ0 60
18. चौधरी–सुखवीर: पीजेन्टस एण्ड वर्क्स मुवमेंट इन इण्डिया, पृ0 79
19. वही0 पृ0 79

20. नेहरू, जवाहर लाल: एन आटोबायोग्राफी पृ0 60–61

21. चौधरी–सुखवीर: पीजेन्टस एण्ड वर्क्स मुवमेंट इन इण्डिया, (1905–22) पृ0 85

22. वही0 85

23. नेहरू, जवाहर लाल: एन आटोबायोग्राफी पृ0 67

24. इण्डिपेंडेंट (दैनिक इलाहाबद) 21 जनवरी 1921

25. वही0

26. चौधरी–सुखवीर: पीजेन्टस एण्ड वर्क्स मुवमेंट इन इण्डिया, पृ0 89

27. वही0 पृ0 87

28. वही0 पृ0 95

29. इण्डिपेंडेंट (दैनिक इलाहाबद) 12 मार्च 1921

30. वही0

31. चौधरी–सुखवीर: पीजेन्टस एण्ड वर्क्स मुवमेंट इन इण्डिया, पृ0 98

32. वही पृ0 98

33. प्रेसीडिंगहोम डिपार्टमेट (पोलिटिकल) डिस्टरक्सेज इन फैजाबाद एण्ड रायबरेली फाइन नं0 17, पृ0 27

33. चौधरी–सुखवीर: पीजेन्टस एण्ड वर्क्स मुवमेंट इन इण्डिया, पृ0 99

34 वही, पृ0 30

35. चौधरी–सुखवीर: पीजेन्टस एण्ड वर्क्स मुवमेंट इन इण्डिया, पृ0 113

36. प्रताप (साप्ताहिक कानपुर) 5 सितम्बर 1926

37. नेहरू जवहार लाल–एन आटोबायोग्राफी 232

38. वही0 पृ0 232

39. वही0 पृ0 234

40. वही0 पृ0 237

41. उत्तर प्रदेश के नेटिव न्यूज पेपर्स की सरकारी माइक्राफिल्म रपट, 31 जनवरी 1931

42. वही0

43. वही0 दिसम्बर 1930

44. वही0

45. वही0

46. वही0 30 जनवरी 1932

47. आज (दैनिक वाराणसी 6 मार्च 1931

48. वही, 27 मई 1933